कार्यालय आदर्श नगर पंचायत निचलौल जनपद– महराजगंज

पत्रांक /न0पं0नि0/नीलामी/2019–20 दिनांक– 22.8.19

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत निचलौल जनपद– महराजगंज सीमान्तर्गत विभिन्न मुहल्लो में स्थित दस वर्षिय पोखरियों की खुली बोली /नीलामी दिनांक 30.08.2019 को समय 12.30 बजे नगर पंचायत निचलौल कार्यालय पर किया जायेगा। यदि किन्ही कारणो से पोखरियों की नीलामी उक्त तिथि को नही हो पाती है तो निम्न शर्तो के अधीन पुनः खुली बोली/ नीलामी दिनांक 02.09.2019 को समय 11.00 बजे और यदि उक्त दोनो तिथियों में किसी कारणवश बोली/नीलामी नही हो पाती है तो पुनः बोली/नीलामी दिनांक 04.09.2019 को पूर्वाहन 11.00 बजे से कार्यालय नगर पंचायत निचलौल में की जायेगी। नियमो /शर्तो की जानकारी कार्यालय दिवस में कार्यालय नगर पंचायत निचलौल से प्राप्त की जा सकती है। खुली बोली/नीलामी हेतु पोखरी निम्न है।

क0सं0	पोखरी का गाटा संख्या	जमानत धनराशि
1	गाटा सं0 02 रकवा 2.157	1,00,000.00
2	गाटा सं0 1919 रकवा 0.405	50,000.00
3	गाटा सं0 1320 ग रकवा 0.442	25,000.00
4	गाटा सं0 2338 रकवा 2.247	25,000.00
5	गाटा सं0 1354 रकवा 0.506	15,000.00
6	गाटा सं0 1390 रकवा 0.125	15,000.00
7	गाटा सं0 1554 रकवा 0.362	15,000.00
8	गाटा सं0 2408 रकवा 1.376	15,000.00

नियम/शर्ते

1. बोली में वही व्यक्ति भाग ले सकता है जो जनपद– महराजगंज का निवासी हो।
2. पोखरी का उपयोग मछली पालने हेतु एंव सिघांडा लगाने के लिए करना होगा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग नही करना होगा।
3. नगर पंचायत के किसी भी बकायेदार को बोली में भाग लेने का अधिकार नही होगा।
4. बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को प्रत्येक पोखरी में जमानत की धनराशि अग्रिम जमा करने के पश्चात् ही बोली में भाग लेने का अधिकार होगा।
5. नीलामी/ बोली समाप्त होने के तुरन्त बाद उच्चतम बोली का 1/4 धनराशि तुरन्त जमा करना होगा। तथा अवशेष धनराशि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/4 भाग अर्थात 06 वर्ष के अन्दर प्रत्येक दशा में जमा करना होगा। नही तो नीलामी स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
6. नीलामी लेने वाले व्यक्ति को अपने व्यय से नियमानुसार अनुबन्ध करने के पश्चात ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
7. बोली स्वीकृति व अस्वीकृति करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
8. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि विना कोई कारण बताये ही आवश्यकतानुसार नीलामी /बोली की कार्यवाही स्थगित/निरस्त कर सकते है।
9. नीलामी की अवधि स्वीकृति के दिनांक से दस वर्ष तक का होगा।
10. पोखरियों से सम्बन्धित जानकारी कार्यालय दिवस में नीलामी के पूर्व प्राप्त किया जा सकता है।
11. शासना देश के कम में प्रत्येक वर्ष कार्यादेश का नवनीकरण कराना होगा।
12. पिछली नीलामी/बोली की धनराशि से 10 प्रतिशत अधिक बोली आने पर ही नीलामी/बोली की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13. बोलीदाता को किसी दैविय आपदा या किसी अन्य कारण से नीलामी धनराशि में किसी भी प्रकार की छूट या अनुदान अथवा समय बृद्धि नही दी जायेगी।

14. निकाय के अध्यक्ष/सदस्य/अधिकारी/कर्मचारी को उनके सम्बन्धी या रिस्तेदार बोली में भाग लेने का अधिकार नही होगा।

15. उक्त बोली से सम्बन्धित यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है या ठेके/नीलामी से सम्बन्धित कोई मुकदमा या रिट याचिका हो जाता है तो ठेकेदार को स्वयं अपने खर्चे से वाद/मुकदमा/रिट याचिका/अपिल/वाद विवाद अपवाद की पैरवी आदि स्वंय करना होगा। तथा इसके सम्बन्धित जो भी व्यय होगा वह ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

16. बोलीदाता को उपरोक्त शरायत के 01 से लेकर सरायत 15 तक अक्षरशः पालन करना होगा।

17. यदि बोलीदाता उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करता है तो उसका बोली/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी सारी जिममेदारी सम्बन्धित बोलीदाता की होगी।

अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत निचलौल महराजगंज	अध्यक्ष नगर पंचायत निचलौल महराजगंज

पत्रांक 311(6) /न0पं0नि0/2019–20/नीलामी सूचना/दिनांक–
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय,महराजगंज।
2. उपजिलाधिकारी सदर /प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, महराजगंज।
3. उपजिलाधिकारी महोदय निचलौल,महराजगंज।
4. पुलिस क्षेत्राधिकारी निचलौल– महराजगंज।
5. थानाध्यक्ष निचलौल को नीलामी के समय शान्ति व्यवस्था हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
6. प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. महराजगंज को इस आशय से प्रेषित कि इस विज्ञापन को वेवसाइड www. Maharajganaj nic.in पर डालने की कृपा करें।
7. नगर पंचायत निचलौल के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत निचलौल महराजगंज	अध्यक्ष नगर पंचायत निचलौल महराजगंज